

**भारत सरकार Government of India**  
**रेल मंत्रालय Ministry of Railways**  
**(रेलवे बोर्ड) (Railway Board)**

No.E(W)2015/PS5-1/1

New Delhi, dated 03.08.2018

The General Managers (P)  
All Zonal Railways &  
Production Units.

Sub: Inclusion of a Parent as well as "Medical Attendant" in Special Passes issued on medical grounds in favour of minor children of railway employees.

In the PNM/AIRF Meeting with Board, the Federation had raised the issue regarding non-inclusion of a parent in the Special Passes issued for outstation medical treatment of children of railway employees due to absence of necessary provision in the extant Pass Rules.

2. The issue has been examined in detail and in order to obviate the difficulties in such cases, it has been decided with the approval of the Competent Authority to incorporate the following provision in Schedule VII (Special Passes) of the Railway Servants (Pass) Rules, 1986 (Second Edition - 1993) as item No.5 (below Note of Item No.4) under Column 3 'Entitlement/facilities':-

"5. In case of minor children (i.e. boys under the age of 15 years and girls under the age of 18 years), if referred to outstation hospitals for medical treatment, Special Passes in favour of (i) railway servant or his/her spouse, (ii) minor child requiring treatment and (iii) a Medical Attendant (who may be a family member or dependent or any other person) will be issued. The pass will ordinarily be issued for the class of entitlement of the railway servant on privilege account or in higher class, if otherwise admissible under these rules."

3. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

*V. M.L.D.*

(V. Muralidharan)

Dy. Director Estt.(Welfare)-I  
Railway Board

No.E(W)2015/PS5-1/1

New Delhi, dated 03.08.2018

Copy to :-

The Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.224, Rail Bhavan, New Delhi (with 40 spares).

*[Signature]*  
for Financial Commissioner/Railways

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, NFIR, Room No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi (with 20 spares).
2. The General Secretary, AIRF, Room No.253, Rail Bhawan, New Delhi (with 20 spares).
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary Staff Side, National Council, 13-C, Feroze Shah Road, New Delhi (with 30 spares).
4. The Secretary General, FROA, Room No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi.
5. The Secretary General, IRPOF, Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi.
6. The Secretary, RBSS, Group "A" Officers Association, Room No.402, Rail Bhawan.
7. The Secretary, RBSS Group "B" Officers' Association.
8. The General Secretary, RBSSSA, Room No.439, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The President, Indian Railway Class II Officers Association, Rail Nilayam, Secunderabad.
11. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
12. The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association.
13. The Secretary General, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
14. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No.7, Rail Bhawan.
15. The General Secretary, All India O.B.C. Railway Employee's Federation (AIOBCREF), Room No.48, Rail Bhawan.

  
for Secretary/Railway Board

Copy forwarded to:-

- (i) Director(GA), Railway Board.
- (ii) Computer Cell, C&IS, Railway Board for uploading this on MoR's website for information of all concerned.
- (iii) As per standard list.

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(डब्ल्यू)2015/पीएस5-1/1

नई दिल्ली, दिनांक 03.08.2018

महाप्रबंधक (कार्मिक)  
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं  
उत्पादन इकाइयां.

विषय: रेल कर्मचारियों के नाबालिग बच्चों के पक्ष में चिकित्सीय आधार पर जारी किए जाने वाले विशेष पास में "चिकित्सीय परिचर" के साथ माता/पिता को शामिल करने के संबंध में।

बोर्ड के साथ पीएनएम/एआईआरएफ बैठक में, फेडरेशन ने मौजूदा पास नियमों में आवश्यक प्रावधान न होने के कारण रेल कर्मचारियों के बच्चों को आउट-स्टेशन चिकित्सीय उपचार के लिए जारी किए जाने वाले विशेष पास में माता/पिता को शामिल न करने के संबंध में मामला उठाया है।

2. मामले की विस्तार से जांच की गई है और ऐसे मामलों में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से रेल सेवक (पास) नियम, 1986 (द्वितीय संस्करण- 1993) की अनुसूची VII (विशेष पास) के कॉलम 3 'हकदारी/सुविधाओं' के अंतर्गत मद सं. 4 की टिप्पणी के नीचे मद सं. 5 के रूप में निम्नलिखित प्रावधान को शामिल करने का निर्णय लिया गया है:-

"5. नाबालिग बच्चों के मामले में (अर्थात् 15 साल से कम उम्र के लड़के और 18 साल से कम उम्र की लड़कियां), यदि चिकित्सीय उपचार के लिए आउट-स्टेशन अस्पताल भेजा जाता है तो विशेष पास (i) रेल सेवक या उनका/उनकी पति/पत्नी, (ii) नाबालिग बच्चा जिसका उपचार होना है और (iii) एक चिकित्सीय परिचर (जो परिवार का सदस्य या आश्रित या कोई अन्य व्यक्ति) के पक्ष में जारी किया जाएगा। पास सामान्यतः उस श्रेणी का जारी किया जाएगा जिसके लिए रेल सेवक सुविधा खाते पर हकदार है या उच्चतर श्रेणी में यदि इन नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य है।"

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

वी. मुरलीधरन  
(वी. मुरलीधरन)


उप निदेशक, स्था.(कल्याण)-I  
रेलवे बोर्ड

सं. ई(डब्ल्यू)2015/पीएस5-1/1

नई दिल्ली, दिनांक 03.08.2018

प्रतिलिपि:-

भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित).

  
कृते वित्त अधिकारी/रेलें

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. महासचिव, एनएफआईआर, कमरा सं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (20 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
2. महासचिव, एआईआरएफ, कमरा सं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (20 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
3. विभागीय परिषद तथा राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (30 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
4. महासचिव, एफआरओए, कमरा सं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली.
5. महासचिव, आईआरपीओएफ, कमरा सं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली.
6. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा सं. 402, रेल भवन, नई दिल्ली.
7. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली.
8. महासचिव, आरबीएसएसएसए, कमरा सं. 439, रेल भवन, नई दिल्ली.
9. सचिव, रेलवे बोर्ड, प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा सं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली.
10. अध्यक्ष, भारतीय रेलवे क्लास II ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल निलायम, सिकंदराबाद.
11. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन.
12. सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास IV स्टाफ एसोसिएशन.
13. महासचिव, अखिल भारतीय रेसुब एसोसिएशन, कमरा सं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली.
14. महासचिव, अखिल भारतीय अजा/अजजा रेलवे इंप्लाइज एसोसिएशन, कमरा सं. 7, भूतल, रेल भवन, नई दिल्ली.
15. महासचिव, अखिल भारतीय अ.पि.व. रेलवे इंप्लाइज फेडरेशन (एआईओबीसीआरईएफ), कमरा सं. 48, रेल भवन.



कृते सचिव/रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:-

- (i) निदेशक (सामान्य प्रशासन), रेलवे बोर्ड.
- (ii) कम्प्यूटर कक्ष, सी.&आई.एस., रेलवे बोर्ड - सभी सम्बंधित की जानकारी के लिए इस पत्र को रेल मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु.
- (iii) नियत वितरण सूची के अनुसार.